

जेतुसिंह वगैराह बनाम मेघसिंह सिंह वगैराह
दाया क्रमांक 174/2022
जीसीएमएस क्रमांक 2022/338

पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया
डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर
निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 जेतुसिंह के बंट में मौजा खेड़ा हिरावास के खेत खसरा नम्बर 76
रकबा 2.3957 हैक्टेयर में से 1.1735 हैक्टेयर बीच का भाग नजरी नक्शानुसार रखा
जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 सोनसिंह के बंट में मौजा खेड़ा हिरावास के खेत खसरा नम्बर 130
रकबा 2.9137 हैक्टेयर में से 2.1043 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ का भाग नजरी
नक्शानुसार व खसरा नम्बर 77 रकबा 2.9542 हैक्टेयर में से बीच का 1.0117
हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 गणेशसिंह के बंट में मौजा खेड़ा हिरावास का खेत खसरा नम्बर
122 रकबा 2.1448 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 2.3957 हैक्टेयर में
से 0.9713 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा
की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 फतेहसिंह के बंट में मौजा खेड़ा हिरावास का खेत खसरा नम्बर
149/1 रकबा 1.3031 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 130 रकबा 2.9137 हैक्टेयर में
से 0.8094 हैक्टेयर उत्तरी भाग नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 77 रकबा 2.
3957 हैक्टेयर में से 1.0199 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर
खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 व 5 क्रमशः मेघसिंह व गुलाबकंवर के आराजी भूमि में से बंट नहीं
रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुस्तैनी
भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी लिये
जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटी जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल
दरामद की कार्यवाही करें।

फेक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।



(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 29.3.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर
द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल